सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक प्रशान्त कुमार प्रसाद के निर्देशन व विश्वजीत सौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में हरेकृष्ण उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना उसका बाजार के नेतृत्व मे उसका बाजार पुलिस द्वारा वाद संख्या 1377/2017 धारा 323,504,506 भा0द0वि0 थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 02 नफर वारन्टी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण ***

01.गुलाबचन्द्र पुत्र टिहुल साकिन जोगिया मजिगवां थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

02.राधेश्याम पुत्र टिहुल वर्ष साकिन जोगिया मजिगवां थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण--

01.उ0नि0 योगेन्द्र कुमार यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

02.आरक्षी धर्मेन्द्र शाह थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 22/9/2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए समर्पित थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा चलाया गया जागरुकता अभियान

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम व प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व विश्वजीत शौरयान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22/09/2025 प्रभारी निरीक्षक दुर्गा प्रसाद थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना सिद्धार्थनगर मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर द्वारा महिलाओ एंव बालिकाओ को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम हेल्प लाइन के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरुक किया गया।

प्रेस नोट दिनाँक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆थाना जोगिया उदयपुर पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रशान्त कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व मयंक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में रोहिणी यादव प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक/प्रभारी थाना जोगिया उदयपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2025 को अपराध एंव अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद सिद्धार्थनगर वाद संख्या 4478/24 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी चन्द्रप्रकाश पुत्र दाहू साकिन ककरही टोला तनजवा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर को थानाक्षेत्र के ग्राम ककरही टोला तनजवा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिद्धार्थनगर रवाना किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण -

01.चन्द्रप्रकाश पुत्र दाहू साकिन ककरही टोला तनजवा थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण--

01.उ0नि0 कपिलमुनि यादव थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

02.आरक्षी विजय प्रजापति थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 22/9/2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी द्वारा थानाक्षेत्र जोगिया उदयपुर के योगमाया स्कूल की बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, एंटीरोमियो अभियान एवं साइबर अपराध सुरक्षा के क्रम में शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत नारी सुरक्षा एंव स्वालंबन के लिए जागरुकता किया गया।

डॉ अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "शारदीय नवरात्रि के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण, एंटी रोमियो व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम व प्रशांत कुमार प्रसाद अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व मंयक द्विवेदी क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22/09/2025 प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी/प्रभारी थानाध्यक्ष जोगिया उदयपुर मय मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर योगमाया स्कूल की बालिकाओ को महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम हेल्प लाइन के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरुक किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆मिशन शक्ति फेज-5.0 कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा महिलाओं/छात्राओं/ बालिकाओं को किया गया जागरुक।

◆महिलाओं/बालिकाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त।

डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु मिशन शक्ति फेज-05 अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व प्रशान्त कुमार प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 22.09.2025 को मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत जनपद के थानो पर नियुक्त महिला बीट पुलिस अधिकारी/शक्ति दीदी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र की महिलाओं/ बालिकाओं को सुरक्षा के सम्बन्ध में बताया गया तथा महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के प्रति तथा महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु शारदीय नवरात्रि त्यौहार के दृष्टिगत मन्दिरों, धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर महिला पुलिस बल की ड्युटी लगाई गई है। शारदिय नवरात्रि के शुभारम्भ के अवसर पर मन्दिरों, धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थलों पर एण्टी रोमियों स्क्वाड द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। महिला सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। इसके साथ-साथ छात्राओं को निर्भीक होकर शिक्षित एवम् सक्षम बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के 04 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 2,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 20-09-2025 को वाद सं0 2267/2006 मु0अ0सं0-17/2003 धारा-323,504 भा0द0वि0 थाना उसका बाजार में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त 1-बब्लू पुत्र बलिराज, 2-दयाराम पुत्र जुगुल, 3-सन्तराम पुत्र प्रभू, 4-जगदिश पुत्र सन्तराम निवासीगण पुरैना थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 2,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 3,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 20-09-2025 को वाद सं0 456/2002 मु0अ0सं0-78/1999 धारा-323,504,506 भा0द0वि0 थाना उसका बाजार में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त उमेंश चन्द साहनी पुत्र भागीरथी निवासी मोगलहां थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 3,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 20-09-2025 को वाद सं0 277/2007 मु0अ0सं0-95/2007 धारा-8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना उसका बाजार में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त फुलचन्द पुत्र गिरजा उर्फ सकाडू यादव निवासी सेगलदीप थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 2,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर।

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना उसका बाजार पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के 02 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 2,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 19-09-2025 को वाद सं0 1440/2002 मु0अ0सं0-175/1999 धारा-323,504,324,427 भा0द0वि0 थाना उसका बाजार में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री वकील न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) एफटीसी/एसीजेएम जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्ता 1-सुभावती लोध पत्नी महेन्द्र लोध, 2-इलायची पत्नी भोलई लोध निवासीगण बगही थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 2,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय कुमार गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार-पीट के 04 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 423/2006 मु0अ0सं0 64/2004 धारा- 323,504,506 भादवि0 थाना बांसी मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री

पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-बंगाली पुत्र पतालू , 2-कल्पना पुत्री पतालू, 3-फूलमती पुत्री पतालू ,4-शान्ति पत्नी पतालू निवासीगण खरचौला नानकार थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुकेश प्रजापति थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार-पीट के 03 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 3281/2020 मु0अ0सं0 46/2020 धारा- 323,504 भादवि0 थाना बांसी मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-रामअचल पुत्र हरिराम, 2-कपूरा देवी पत्नी रामअचल, 3-कुमारी रागिनी निवासीगण डढ़िया थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुकेश प्रजापति थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार-पीट के 03 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 117/2022 मु0अ0सं0 146/2021 धारा- 323,504 भादवि0 थाना बांसी मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-फूलचन्द पुत्र उदयराज, 2-बृजेश पुत्र रामाज्ञा , 3-गुरुनाम पुत्र रामाज्ञा, निवासीगण थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुकेश प्रजापति थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार-पीट के 03 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 3335/2020 मु0अ0सं0 239/2020 धारा- 323,504 भादवि0 थाना बांसी मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-मनोज पंचम पुत्र पंचम , 2-बाल अपचारी सुजीत पुत्र पंचम , 3-रीता पत्नी अनुज कुमार निवासीगण जिगिना खुर्द थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुकेश प्रजापति थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से एक्सीडेण्ट के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 10/2014 मु0अ0सं0 664/2013 धारा-279,337,338 भादवि0 थाना बांसी मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त संजय तिवारी पुत्र भरवदा तिवारी निवासी झुड़िया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुकेश प्रजापति थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार-पीट के 04 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 71/2018 मु0अ0सं0 24/2017 धारा- 323,504 भादवि0 थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-राजेश पुत्र महातम , 2-परमात्मा पुत्र सीताराम , 3-विन्द्रावन पुत्र नकछेद , 4-संजू पुत्री राजेश, निवासीगण कुड़जा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 750/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 22.09.2025 जनपद सिद्धार्थनगर

◆“आपरेशन कन्विक्शन” के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना खेसरहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से मार-पीट के 02 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 850/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में डॉ0 अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13-09-2025 को वाद सं0 3352/2020 मु0अ0सं0 114/2020 धारा- 323,504,427 भादवि0 थाना खेसरहा मे पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश श्री पंकज जे0एम0 बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्तगण 01-हरिश्चन्द्र पुत्र बलिरामधर, 2-प्रमोद कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासीगण इमिलिया थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को ₹ 850/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश्वर प्रसाद थाना खेसरहा का सराहनीय योगदान रहा।